संख्या: 21/2015/990/74-2015-09(ब)/2015

प्रेषक,

सुशील कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम निदेशालय उ0प्र0
गोमती नगर, लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 31 दिसम्बर, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखाशीर्षक"2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय-14 मोटर गाड़ियो का क्रय" के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, रेशम, रेशम निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-406/सेरी0/नजा0/वाहन क्रय/2015-16 दिनांक 28 सितम्बर, 2015 के संदर्भ में मझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय-14 मोटर गाड़ियो का क्रय" में प्राविधानित धनराशि रूपया 2500 हजार में से अवशेष धनराशि रू0 11,52,606.00 के सापेक्ष रू0 11,04,988.00 (रूपया ग्यारह लाख चार हजार नौ सौ अटठासी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति, 01 BOLERO SLE/2WD B.S.4 (AC) हेतु रूपया 649866.00 तथा एक जीप Thar DI 2wd PSBS3 हेतु रूपया 455122.00 की दर से क्रय करने हेतु वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हुए उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलो में व्यय करने के पूर्व एसी स्वीकृति/सहमति शासन से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों का पूर्णत: अनुपालन किया जायेगा।

(3) निदेशक, रेशम, रेशम निदेशालय यह सुनिश्चित हो लेगें कि निष्प्रयोज्य घोषित व निलाम किए गए वाहनों से प्राप्त धनराशि को कोषागार में जमा किया जा चुका है तथा उक्त के प्रतिस्थापनस्वरूप वाहन क्रय की पुनरावृति नहीं होगी।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किये जाने के पश्चात यदि कोई धनराशि अवशेष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बचती है तो उसे शासन को विलम्बतम 15 मार्च, 2016 तक निश्चित रूप से समर्पित कर दिया जाये।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जाय तथा मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

(6) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का योजनान्तर्गत कारित कार्यो हेतु ही उचित उपयोग किया जा रहा है।

(7) उक्त धनराशि का सम्पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जाये। किसी भी प्रकार के विचलन/दुरपयोग की स्थिति में निदेशक, रेशम स्वंय जिम्मेदार/उत्तरदायी होगें।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय-14 मोटर गाड़ियो का क्रय" नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, के अशासकीय संख्या-744/दस-2015, दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हे।

भवदीय,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या:21/2015/990(1)/74-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखापरीक्षा) -प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
6. वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
7. समन्वय अनुभाग/उद्यान अनुभाग
8. नियोजन अनुभाग-4
9. प्रोग्रामर/कम्प्यूटर अनुभाग, रेशम निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को इस आश्य से प्रेषित कि उक्त शासनादेश वेबसाइट पर लोड कर दें।
10. गार्ड फाइल/कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in